सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को निधि का आवंटन

2434. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी माझी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत ईंधन, लकड़ी और चारे के लिये क्षेत्रीय योजना तथा मार्जिन मनी सहायता योजना को लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए पिछले वर्ष कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा इस संबंध में क्या भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये ;

(ग) क्या सरकार सामाजिक वानिकी की ओर अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई नई पहल कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में सीमांत धन सहायता के लिए केन्द्र परियोजना के अधीन इस समय किसी प्रायोजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है । ईंधन लकड़ी और चारे के लिए कोई क्षेत्रीय परियोजना नहीं है । तथापि मध्यप्रदेश में केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र की कई परियोजनाओं के माध्यम से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है । गत वर्ष (1987–88) तथा चालू वर्ष (1988–89) के लक्ष्यों, आवंटनों तथा उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :—

लक्ष्य	उपलब्धि			आवंटन
	(क्षेत्र हैक्टेयर में)			(लाख रुपयों में)
1987–88	2,00,000	2,04,523		4687.75
1988–89	2,20,000	2,01,439	(दिसंबर, 1988 तक)	4672 00

(ग) जी, हां ।

Bank Loans to Agriculture and Industrial Sectors

2435. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what ig the amount of loans given to the agriculture sector and industrial sector separately during the last three years by the nationalised banks, indicating the figures bank-wise and year-wise; and

(b) what i_s the percentage of loan recovery from both these sectors during the respective years, bank-wise?

THE. MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE[1] MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) The outstanding advances for Agriculture and Industrial Sector for the last three available years as on 31st December 1985, 1986 and 1987 are as given beiow: —

(Amt. in Rs. crores)

	1985	1986	19S7
Agriculture Industry	8660	10166	11693
(i) Large & Medium	14575	1761	19597
(ii) Small Scale Industry	7450	8723	10241